न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

[illegible] 193 /2025 तारीख रजू :– 29/7/2025

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

[illegible] नम्बर 2025/450

उनवान

[illegible] पुत्र रामस्वरूप जाति नाई निवासी सौमली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

[illegible] पुत्र कुम्हेर जाति नाई निवासी सौमली तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

—प्रतिवादीगण–05

दिनांक	फर्द अहकाम	
29/7/2025	यह दावा वादीगण की ओर से श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.09.2025 को पेश हो। (हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
04/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादीगणों के रजि० सम्मन तलवाना पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दि. 05/1/26 को पेश हो।	186-190 18/9/25
5/01/26	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली मतादेशानुसार दिनांक 16/06/26 को पेश हो।	
6/1/2026	पत्रावली आज वादी एवं उनके अधिवक्ता ने उप० होकर प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलव की गई। वादी अपने दावा को चलाना नहीं चाहते हैं तथा Not Press में खारिज कराना चाहते हैं। अतः मु० नं० 193/2025 उनवानी गोरधन बनाम रामचरौसी वगै० दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।	Not Press गोरधन [illegible] [illegible]

उपखण्ड अधिकारी